

अधिसूचना-

विषय: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्रों की शिकायतों का निवारण विनियम 2023 के अनुपालन के संबंध में।

विश्वविद्यालय के समस्त परिसरों एवं आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों/शोध संस्थानों को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 11.04.2023 को प्रकाशित 'छात्रों की शिकायतों का निवारण विनियम 2023' के अंतर्गत प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान को अपने स्तर पर 'छात्र शिकायत निवारण समिति' (Students' Grievance Redressal Committee - SGRC) का गठन करना अनिवार्य है।

उक्त के अनुपालन में यह सूचित किया जाता है कि -

1. प्रत्येक परिसर/आदर्श संस्कृत महाविद्यालय/शोध संस्थान में UGC विनियम, 2023 के अनुसार SGRC का गठन सुनिश्चित किया जाए।
2. SGRC की संरचना, कार्यकाल, कार्यपद्धति एवं कार्यप्रणाली यूसीसी विनियमों में उल्लिखित नियमों के अनुरूप होनी चाहिए।
3. परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर गठित SGRC छात्रों से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु उत्तरदायी होगी।
4. उक्त समिति को समय-समय पर केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्यालय के SGRC द्वारा प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
5. प्रत्येक परिसर/महाविद्यालय/शोध संस्था में गठित स्थानीय SGRC समिति का विवरण (जैसे अध्यक्ष/सदस्यगण के नाम, पद, कार्यकाल, संपर्क सूत्र आदि) पोस्टर/बैनर/सूचना पट्ट के माध्यम से प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है।
6. विश्वविद्यालय स्तर पर एक ही लोकपाल नियुक्त है जो समस्त परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थाओं के छात्रों की अपीलों के निवारण हेतु अधिकृत है। छात्रों की जानकारी एवं सुविधा के लिए लोकपाल एवं SGRC से संबंधित विवरण (नाम, पद, संपर्क सूत्र, ईमेल आदि) प्रत्येक परिसर/महाविद्यालय में सूचना-पट, पोस्टर/बैनर आदि के माध्यम से प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है।

सभी परिसरों/आदर्श महाविद्यालयों के निदेशकों/प्राचार्यों से अपेक्षा की जाती है कि SGRC के गठन की सूचना तथा समिति का विवरण (नाम, पद, कार्यकाल आदि) विश्वविद्यालय मुख्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराएं।



(प्रो. मदन मोहन झा)

अधिष्ठाता (छात्र कल्याण)

प्रतिलिपि -

1. कुलपति कार्यालय, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
2. कुलसचिव कार्यालय, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
3. समस्त विश्वविद्यालय परिसर
4. समस्त आदर्श संस्कृत महाविद्यालय/शोध संस्थान
5. संबंधित पंजिका